संख्या – 5 पी० (1) नि० 31/2015 प० पा० 83 अ०

पशुपालन निदेशालय

झारखण्ड, राँची।

राँची दिनांक 19/01/2023

प्रेषक,

शशि प्रकाश झा, भा०प्र०से०,
निदेशक, पशुपालन।

सेवा में,

प्रबंधक,
राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र,
सरायकेला–खरसावां।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत पशु प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत् पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, सरायकेला–खरसावां के अन्तर्गत निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्राप्त तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलनों के आधार पर कुल रू० 48,13,149/– (अड़तालीस लाख तेरह हजार एक सौ उनचास रूपये) मात्र का उप–आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या – 38 रा० (वि०), दिनांक – 06.01.2023 (ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश संख्या – 1981) द्वारा योजना की स्वीकृति किये जाने के फलस्वरूप विभागीय आवंटनादेश संख्या – 55 आ० (वि०) दिनांक – 10.01.2023 (विभागीय ऑन लाईन आवंटन संख्या – 3435) के अनुसार कुल **रू० 48,13,149/– (अड़तालीस लाख तेरह हजार एक सौ उनचास रूपये)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है, उसी क्रम में पशुपालन निदेशालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु **ऑन लाईन आवंटन आदेश पत्र संख्या – 31/2015 (SP)/42SP22-23 दिनांक–13.01.2023** द्वारा उप–आवंटन निर्गत किया जाता है।

2. **राज्यादेश एवं आवंटनादेश का अक्षरशः पालन किया जाय।**

3. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 में **ऑन लाईन आवंटन आदेश पत्र संख्या – 31/2015 (SP)/42SP22-23 दिनांक–13.01.2023** के आय व्ययक शीर्ष अन्तर्गत आवंटित राशि से विकलनीय होगा।

4. (क) वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक – 29/बी॰टी॰ई॰–11/ 2021–22/**245**/बजट दिनांक–30.03.2022 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(ख) आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि० (2) दिनांक–17.04.1998 वित्त विभाग के पत्रांक – 1800/वि०, दिनांक – 15.07.2003 एवं पत्रांक – 533 (वि०) दिनांक – 03.03.2004 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी की जाय।

(ग) आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।

(घ) झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम – 174 का सख्ती से पालन किया जाय।

5. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष के प्रत्येक तिमाही का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना संबंधित DDO का दायित्व होगा।

7. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाय। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।

8. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

9. यह सुनिश्चित किया जाय कि कभी भी योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो।

10. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि कार्य की डुप्लीकेटिंग तो नहीं हो रही है। यदि इस प्रयोजन हेतु अन्य स्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त हो रही हो, तो इस राशि की निकासी न की जाय तथा इसकी सूचना शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को दी जाय।

11. कार्यों का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि प्रतिवेदन प्रतिमाह 15 तारीख तक निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन

ज्ञापांक :— 83 आ० राँची, दिनांक 19/01/2023

प्रतिलिपि :— मुख्य महालेखाकार (वन एवं लेखा), झारखण्ड, राँची को अनुलग्नक की प्रति के साथ उनके पत्र संख्या — 57—96—97 प०पा० — 9 — 46 दिनांक — 02.08.96 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन

कोषागार पदा० ज्ञापांक :— 83 आ० राँची, दिनांक 19/01/2023

को निबंधित प्रतिलिपि :— संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/उप—सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को अलग संधारण हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी — 1/2/3/4/5 एवं 6 तथा संबंधित सहायक, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को तीन (3) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन
18/1

ज्ञापांक :— 83 आ० राँची, दिनांक 19/01/2023

प्रतिलिपि :— सचिव, भवन निर्माण विभाग, प्रोजेक्ट भवन, राँची/प्रबंध निदेशक, राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन

ज्ञापांक :— 83 आ० राँची, दिनांक 19/01/2023

प्रतिलिपि :— डॉ० शिव कुमार वर्मा, नोड्ल पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सरकार के पोर्टल (www.jharkhand.gov.in) पर अद्यतन सूचनाएँ अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन

83 आ०
19/01/2023

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Animal Husb

चालू वितीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 31/2015 (SP)/42SP22-23 **दिनांक -** 13-Jan-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 02 44030079606010544 4403 - पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय 00 - पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 06 - पशु प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना 01-राज्य के पशुधन विकास के प्रक्षेत्र का बुनियादी ढाँचे का विकास और बकरी एस्टेट का विकास और चतरा में फार्म और परत की स्थापना परियोजना, हजारीबाग और खूंटी के चिक प्रजनन फार्म का स्थापना **State Scheme** State Scheme : STRENGHTHENING OF STATE RUN FARMS (CATTLE, BUFFALO, SHEEP, GOAT, PIG - POULTRY) (CAPITAL)(0860) Centeral Scheme : NA	75022	SKLAHY006 DR CHANDAN GOBIND DEB MANAGER GOV.CATTDE BREE.FARM 44 - जीर्णोद्धार	1,522,130.00 रुपये पंद्रह लाख बाइस हजार एक सौ तीस
2	S 02 44030079606010545 4403 - पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय 00 - पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 06 - पशु प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना 01-राज्य के पशुधन विकास के प्रक्षेत्र का बुनियादी ढाँचे का विकास और बकरी एस्टेट का विकास और चतरा में फार्म और परत की स्थापना परियोजना, हजारीबाग और खूंटी के चिक प्रजनन फार्म का स्थापना **State Scheme** State Scheme : STRENGHTHENING OF STATE RUN FARMS (CATTLE, BUFFALO, SHEEP, GOAT, PIG - POULTRY) (CAPITAL)(0860) Centeral Scheme : NA	75021	SKLAHY006 DR CHANDAN GOBIND DEB MANAGER GOV.CATTDE BREE.FARM 45 - निर्माण कार्य	3,291,019.00 रुपये बत्तीस लाख इनकानवे हजार उन्नीस

योग: रुपये अडतालीस लाख तेरह हजार एक सौ उनचास 4,813,149.00

क्रमिक योग:

(SHASHI PRAKASH JHA, I.A.S.)
DIRECTOR

Run Date: 13/1/2023

83 आ०
19/01/2023

वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 02 कृषिए पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-4403 - पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 06 - पशु प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	02S44030079606010544	02S44030079606010545	Total
					जीर्णोद्धार	निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saraikela	SKLAHY006	Dr Chandan Gobind Deb	Manager Gov.Cattde Bree.Farm	₹15,22,130.00 (75022)	₹32,91,019.00 (75021)	₹48,13,149.00

कुल आवंटित राशि :- ₹48,13,149.00 (अडतालीस लाख तेरह हजार एक सौ उनचास) **रूपये मात्र** ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(SHASHI PRAKASH JHA, I.A.S.)
DIRECTOR